

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
—:: मंत्रालय ::—
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक F-22/2/2016-17/ल.सि./31/531
प्रति,

दिनांक 24/03/2017

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:—लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति।

राज्य शासन एतद द्वारा वित्तीय व्यय समिति की छठवीं बैठक (वर्ष 2016--17) दिनांक 08-03-2017 में की गई अनुशंसाओं के परिपेक्ष्य में तालिका में दर्शित लघु सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:—

S.no	Name of Project	Block	District	Proposed Rabi Irrigation (Ha.)	Cost					Difference of Cost which is not included in G-Schedule			Total Project Cost
		ST / DPAP / Normal			Forest	Private	As Per G-Schedule	Establishment	DPR	Compaction	Sluice Gate	Others	
Major Head (Grant) 23/4700													
1	Tiktoli Distributory (From Harsi High Level Canal)	Morar	Gwalior	3170	0.00	168.00	3930.08	118.00	17.92	-	-	-	4234.00
Major Head (Grant) 45/4702													
2	Satdhara Tank	Jafara/ Normal	Tikamgarh	570	585.00	524.23	776.73	48.54	5.00	34.04	0.35	-	1973.89
3	Khatola Complex Project	Multai/ DPAP/Deori/ Normal	Sagar	1415	742.35	1138.56	2720.86	170.95	10.01	125.25	3.12	-	4911.10
4	Ghat Biroli Tank	Multai/ DPAP/Deori/ Normal	Betul	1070	0.00	2951.15	700.64	44.54	5.62	39.81	1.96	-	3743.72

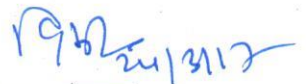
1942
24/3/17

S.no	Name of Project	Block	District	Proposed Rabi Irrigation (Ha.)	Cost					Difference of Cost which is not included in G-Schedule			Total Project Cost
		ST / DPAP / Normal			Forest	Private	As Per G-Schedule	Establishment	DPR	Compaction	Sluice Gate	Others	
Major Head (Grant) 41/4702													
	Roshiya Tank	ST	Khargone	955	399.30	1343.56	1367.05	84.54	2.50	40.95	0.94	79.46	3318.30

शर्त :-

- संबंधित कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित करें कि परियोजना में मिट्टी कार्य में काम्पेक्शन का कार्य विभाग की विद्युत/यांत्रिकी (भारी मशीनरी संभाग) द्वारा किया जाए। इसे निविदा में नहीं जोड़ा जाए। निविदा में केवल मिट्टी एवं वाटरिंग का प्रावधान रखा जावे।
- स्लूस गेट के आयटम निविदा के 'जी' शेड्यूल में नहीं जोड़ा जाए और केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई से कराये जावें।
- स्थापना, कंटेनरेंसी, सर्वे/अनुसंधान, डी.पी.आर. एवं क्वालिटी कन्ट्रोल टेस्टिंग आदि कार्यों के लिए पृथक से राज्य स्तर से धनराशि प्रदाय की जाने के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन यंत्री इन मदों पर परियोजना के तहत कोई व्यय नहीं करें।
- चूँकि साधारण जंगल सफाई मशीनों के माध्यम से सीधे बेचिंग कर करा लिया जाता है। अतः इस कार्य के लिए प्राक्कलन तथा जी शेड्यूल में प्रावधान नहीं रखा जाए।
- जिन परियोजनाओं के संबंध में पुरानी प्रशासकीय स्वीकृतियाँ हों उन्हें इस आदेश की तिथि से निरस्त माना जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(व्ही.एस. टेकाम)

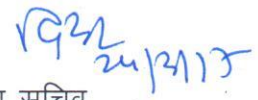
उप सचिव,

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

दिनांक 24/03/2017

पृष्ठा. क्रं. F-22/2/2016-17/ल.सि./31/532
प्रतिलिपि :-

- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- मुख्य अभियंता, ई-प्रोक्योरमेंट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- मुख्य अभियंता, यमुना कछार, ग्वालियर/नर्मदा ताप्ती कछार, इन्दौर/धसान केन कछार, सागर/जल संसाधन विभाग, होशंगबाद।
- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर/टीकमगढ़/खरगौन/सागर/बैतूल।
- वेब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाईकू जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर आदेश विभागीय वेब साईट पर प्रकाशित करने हेतु।


उप सचिव,

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग